न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 60 / 2025(GCMS 2025/313)
(RTI No. 212379879186816)

श्री मुकन्द सिंह पुत्र हरनेक सिंह निवासी 6 केएसडी, पो.ओ. सूरतेवालपुरा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नम्बर – 94619–41862)

बनाम

तहसीलदार (राजस्व), रायसिंहनगर

27.10.2025

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री मुकन्द सिंह स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया, तो पाया कि अपीलार्थी ने तहसीलदार (राजस्व), रायसिंहनगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 02.07.2025 से आठ बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे समय पर उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि श्री सुभाष कुमार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 02.07.2025 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न आठ बिन्दुओं की सूचना चाही थी :

1. कार्यालय तहसीलदार, राजस्व रायसिंहनगर में क्रमांक राजस्व / पेड़ अनु. / 25 / 719 दिनांक 24.04.2025 को सी.आई.डी. (बॉर्डर इन्टेलिजेन्स) रायसिंहनगर में कार्यालय के प्रशासनिक / आवासीय भवन हेतु आवंटित भूमि में (बीच में) भवन निर्माण के अन्दर वाले कुल आठ पेडों को काटने की अनुमति के लिए नियम व धाराएं नहीं लिखना जुर्म व अपराध की श्रेणी में आता है। इस जुर्म व अपराध को रोकने के लिए नियम व धाराएं राजस्व की बताए और सक्षम लोक सेवा के पद नाम सूची क्रमबद्ध चाही है।
2. सी.आई.डी.(बीआई) रायसिंहनगर कार्यालय के भवन (मकान) बनाने के लिए वर्तमान निर्माण में जितनी जगह कवर की गई है। उस जगह की पूर्व–पश्चिम, उत्तर–दक्षिण दिशा की लम्बाई–चौडाई माप सहित प्रमाणित दस्तावेज चाहा है।
3. बिन्दु दो के अनुसार सी.आई.डी. (बी आई) भवन निर्माण के लिए आस पास काटे हरे पेडों के ठूंठ (जमीन के अन्दर जड़ो सहित) पेड़ों की वर्तमान भौतिक सत्यापन रिपोर्ट प्रमाणित दस्तावेज चाहा है।
4. हरे पेड़ों के हस्तांरित (जगह बदलकर दूसरी जगह लगाने के लिए) नियम राजस्व की प्रमाणित दस्तावेज चाहा है।
5. हरे पेडो को काटने के बदले में शर्त नं. 4 के अनुसार दो गुणा नए पेडो को लगाकर परिपक्व होने तक जिस लोक सेवक की जिम्मेदारी, दायित्व सौंपा गया है, उसकी प्रमाणित दस्तावेज चाहा गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:38:11 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 60 / 2025
(GCMS No. 2025/313)
(RTI No. : 212379879186816)

6. ऊपर लिखे बिन्दु एक से पांच तक चाही सूचनाएं संलग्न चित्रप्रति अनुसार हर्षिता मिढ़ा के हस्ताक्षर से जारी की गई है, उसी के सम्बन्ध में सूचनाएं चाही है।
7. ....
8. कार्यालय तहसीलदार, रायसिंहनगर के अधीन समस्त गांवों व ढाणियों में जनवरी 2024 से आज दिनांक तक हरे पेड़ काटने की सहमति लेने किसानों के गावं व नाम की सूची चाही है।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, रायसिंहनगर ने अपने पत्रांक राजस्व / 2025 / 1381 दिनांक 24.09.2025 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है :

> उपरोक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि अपीलार्थी श्री मुकन्द सिंह द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 02.07.2025 (66एफ 274320) के संबंध में टिप्पणी मय कार्यालय का सम्बन्धित रिकॉर्ड चाहा गया है।
>
> श्रीमानजी कार्यालय सी.आई.डी. (बी.आई.) विभाग को श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर द्वारा आवंटित भूमि चक 25 पीएसए के मुरब्बा नं. 12 के किला नं. 16 में भवन / कार्यालय निर्माण के बीच में आये 08 पेड़ों को काटने की अनुमति चाहने पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक राजस्व / पेड़अनु / 25 / 713 दिनांक 24.04.2025 को उक्त 08(आठ) पेड़ों को काटने की अनुमति जारी की गई है। प्रति संलग्न है।
>
> अपीलार्थी द्वारा इस कार्यालय में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत आवेदन कर उक्त पेड़ों को काटने की जारी की अनुमति की प्रमाणित प्रति एवं आठ बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी।
>
> उक्त चाही गई सूचना इस कार्यालय के पत्र क्रमांक / सू.का.अ. / 2025 / 1057 दिनांक 08.07.2025 द्वारा [illegible] स्टर्ड डाक अपीलार्थी द्वारा आवदेन में अंकित पते पर [illegible] थी। प्रति संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:38:11 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार (राजस्व), रायसिंहनगर ने अपने पत्रांक सू.का.अ. / 2025 / 1057 दिनांक 08.07.2025 से प्रार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है:

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 60/2025
(GCMS No. 2025/313)
(RTI No. : 212379879186816)

क्र.सं.	चाही गई सूचना	सूचना के अधिकर के तहत दी गई सूचना
1	कार्यालय तहसीलदार, राजस्व रायसिंहनगर में क्रमांक राजस्व/ पेड़अनु./25/719 दिनांक 24.04.2025 को सी.आई.डी. (बॉर्डर इन्टेलिजेन्स) रायसिंहनगर में कार्यालय के प्रशासनिक/ आवासीय भवन हेतु आवंटित भूमि में (बीच में) भवन निर्माण के अन्दर वाले कुल आठ पेडों को काटने की अनुमति के लिए नियम व धाराएं नहीं लिखना जुर्म व अपराध की श्रेणी में आता है। इस जुर्म व अपराध को रोकने के लिए नियम व धाराए राजस्व की बताए और सक्षम लोक सेवा के पद नाम सूची क्रमबद्ध चाही हैं।	श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर द्वारा सीआईडी विभाग को कार्यालय/आवासीय भवन हेतु भूमि आवंटित की है उक्त भूमि में भवन निर्माण के अन्दर आने वाले कुल आठ पेड़ों को काटने की अनुमति दी गई थी। राजकीय प्रयोजनार्थ भवन निर्माण में आ रहे पेड़ों को काटने की अनुमति के लिए नियम व धाराएं लगाने की आवश्यकता नहीं है।
2	सी.आई.डी.(बीआई) रायसिंहनगर कार्यालय के भवन (मकान) बनाने के लिए वर्तमान् निर्माण में जितनी जगह कवर की गई है। उस जगह की पूर्व–पश्चिम, उत्तर–दक्षिण दिशा की लम्बाई–चौडाई माप सहित प्रमाणित दस्तावेज चाहा है।	सीआईडी विभाग को भवन बनाने हेतु भूमि का आवंटन श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर द्वारा किया है। अतः आप द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय से सम्बन्धित नहीं है।
3	बिन्दु दो के अनुसार सी.आई.डी. (बी आई) भवन निर्माण के लिए आस पास काटे हरे पेडों के ठूंठ (जमीन के अन्दर जड़ो सहित) पेड़ों की वर्तमान भौतिक सत्यापन रिपोर्ट की प्रमाणित दस्तावेज चाहा है।	इस कार्यालय द्वारा पेड़ उखाड़ने की अनुमति जारी की गई है, सीआईडी विभाग द्वारा अनुमति दी गई पेड़ों को उखाड़ने की कार्यवाही की गई है। अतः आप द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय से सम्बन्धित नहीं है।
4	हरे पेड़ों के हस्तांरित (जगह बदलकर दूसरी जगह लगाने के लिए) नियम राजस्व की प्रमाणित दस्तावेज चाहा है।	हरे पेड़ों को हस्तान्तरित करने का कोई नियम नहीं है।
5	हरे पेड़ो को काटने के बदले में शर्त नं. 4 के अनुसार दो गुणा नए पेड़ो को लगाकर [illegible] होने तक जिस लोक सेवक को जिम्मेदारी, दायित्व सौंपा गया है, उसकी प्रमाणित दस्तावेज चाहा गया है।	इस कार्या[illegible] पेड़ो को काटने [illegible] अनु[illegible] जारी कर सम्बन्धित [illegible], इसके बदले दो [illegible] लगाने की शर्त लगाई गई है। इस कार्यालय द्वा[illegible]डों को काटने की प्रमाणित प्रति संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:38:11 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 60/2025
(GCMS No. 2025/313)
(RTI No. : 212379879186816)

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, रायसिंहनगर ने अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** इसलिए **तहसीलदार, रायसिंहनगर** द्वारा अपीलार्थी को बिन्दु संख्या 02, 03 एवं 05 का जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती हैं किन्तु बिन्दु संख्या 01 एवं 04 के सम्बन्ध में तहसीलदार, रायसिंहनगर द्वारा जो जवाब दिया गया है, वह सही प्रतीत नहीं होता है तथा बिन्दु संख्या 6 व 7 में अपीलार्थी द्वारा कोई सूचना चाहीं नहीं गई हैं और तहसीलदार, रायसिंहनगर द्वारा बिन्दु संख्या 08 का कोई जवाब अपीलार्थी को नहीं दिया गया है इसलिए अपीलार्थी की अपील बिन्दु संख्या 01, 04 एवं 08 के लिए प्रतिप्रेषित (Remand) की जानी उचित प्रतीत होती है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील प्रतिप्रेषित(Remand) की जाती है। आदेश की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं **तहसीलदार, रायसिंहनगर** को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 27.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:38:11 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर